

प्रेषक : जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।

सेवा में,

✓ उपायुक्त महोदय,
सोनीपत ।

पत्र क्रमांक नं०- जी-1-2012 / 2243-6.11.17

दिनांक- 6.11.17

विषय:-

लेन्थनेस सर्टिफिकेट पुरान करने का हे मामला जे.बी. रेजुकेशनल क
वैलेंस थरे सोसायटी रोड तक रोड गांव खबर खो दो सो

उपरोक्त विषय बारे आपके पत्र क्रमांक नं०-24545-55/m.b.d.27.10.17
के संदर्भ में आपको सादर सूचित किया जाता है कि विभाग की विद्यालयों

अनुसार जो विद्यालय 21.3.2007 से पहले विभागीय अनुमति/मान्यता तथा
बोर्ड सम्बन्धता प्राप्त हो उनके लिये भूमि का नाम निम्न प्रकार है

विद्यालय ग्रामीण / शहरी / नियंत्रित ग्रामीण / शहरी / नियंत्रित
क्षेत्रों एक मंजिला भवन के लिए क्षेत्रों दो मंजिला भवन के लिए

प्राइमरी	500 वर्गमीटर ✓	300 वर्गमीटर
मिडल	800 वर्गमीटर ✓	600 वर्गमीटर
माध्यमिक	2000 वर्गमीटर ✓	1500 वर्गमीटर
वरिष्ठ मा०		
क्षेत्र तथा	3000 वर्गमीटर ✓	2250 वर्गमीटर
वाणिज्य		
कुल/वाणिज्य	4000 वर्गमीटर /	3000 वर्गमीटर
तथा किसान		

उपरोक्त के अतिरिक्त ये विद्यालय विद्यालयों के संख्या के अनुसार
500 मीटर की परिधि में पर्याप्त जमीन के मैदान का प्रबन्ध या व्यवस्था करेंगे ।

2. जो संस्था नया विद्यालय बनाना चाहती है उसके भूमि के नाम
निम्न प्रकार है :- उन पर वर्षा 2003 के अन्तर्गत नियमावली लागू होगी ।

विद्यालय ग्रामीण / शहरी / नियंत्रित क्षेत्र

प्राइमरी	0, 5 एकड़ ✓
मिडल	1, 0 एकड़ ✓
माध्यमिक	2, 0 एकड़ ✓
वरिष्ठ मा०	2, 0 एकड़ ✓

संलग्न :- गलत नोटिफिकेशन की फोटो प्रत

जिला शिक्षा अधिकारी
सोनीपत
6.11.2017